न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0न0	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
13/12/2021	2021/147	08.10.2021	14.05.2024

1. पंचायत समिति लक्ष्मणगढ, अलवर जरिये विकास अधिकारी

——निगरानिकार

बनाम

1. रामजीलाल शर्मा पुत्र रामसहाय शर्मा, निवासी ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर
2. ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जरिये सचिव/सरपंच

—— अनिगरानिकार

निगरानी अन्तर्गत धारा 97(1) राज0 पंचायती राज0 अधिनियम 1994 विरूद्व आदेश दिनांक 06.06.2011 जिसके द्वारा गैरनिगरानीकार सं0 1 को गैरनिगरानीकार सं0 2 द्वारा ग्राम लक्ष्मणगढ में मकान का पट्टा गलत प्रकार से जारी किया गया है।

उपस्थितः—

01. श्री अशोक शर्मा —वकील निगरानीकार

—:: निर्णय ::—

निगरानीकार द्वारा निगरानी विरुद्व आदेश ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ पंचायत समिति लक्ष्मणगढ तहसील लक्ष्मणगढ जिला अलवर आदेश दिनांक 06.06.20211 जिसके द्वारा अपार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के नाम गलत तरीके पर नियम विरुद्व खिलाफ कानून पट्टा जारी किया गया है, से व्यथित होकर पेश की है। निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार हैं कि ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ़ के समक्ष गैरनिगरानीकार सं0 1 रामजीलाल शर्मा ने दिनांक 22.02.2010 को एक प्रार्थना पत्र मय नक्शा प्रति दो एवं भूमि संबंधित कागजात पट्टा लेने बाबत ग्राम पंचायत गैरनिगरानीकार सं0 2 के यहां प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 05.08.2010 को उज्रदारी नोटिस जारी किये गये जिसमें किसी ने उज्र नहीं किया इस पर ग्राम पंचायत के पंचों द्वज्ञरा दिनांक 29.09.2010 को मौका देखा गया। मौका रिपोर्ट में पंचों ने लिखा कि मौके पर प्रार्थी का पुख्ता मकान बना हुआ है एंव इस मकान में प्रार्थी अपने पशु बांधता है तथा पशुओं का चारा भी भरा हुआ है। यह मकान प्रार्थी का काफी पुराना है एवं इस मकान पर प्रार्थी का पूर्व से कब्जा है। इस मकान पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रार्थी का बंरग सुर्ख नक्शा मुताबिक पट्टा जारी करने की सिफारिश की जिस

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

पर ग्राम पंचायत द्वारा रामजीलाल शर्मा पुत्र रामसहाय शर्मा को पूर्व से पश्चिम तरफ उत्तर 27 फिट 6 ईंच, सुभाष चन्द सैन का मकान चपेटवा आसार तरफ दक्षिण 23 फुट 8 ईंच, सुरेन्द्र कुमार विजय नरेन्द्र कुमार विजय का मकान चपेटवा आसार, उत्तर से दक्षिण तरफ पूर्व 32 फुट 3 ईंच आम रास्ता एंव तरफ पश्चिम 31 फुट, शामलाती गली जिसका कृल क्षेत्रफल 30.2 गुना 31.7–957.34 वर्गफुट बनता है जिसकी पट्टा फीस 200/– रूपये मात्र पंचायत कोष में जमा कर देने के बाद नियम 157 के तहत पट्टा जारी करने के आदेश दिये गये। जिसके विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की जा रही है।

गैरनिगरानीकार सं0 2 ने उक्त पट्टा कतई नियम विरूद्व जारी किया है तथा पंचायती राज0 अधि व राजस्थान पंचायती राज0 नियमों की पूर्णतः अनदेखी व उपेक्षा करते हुए पट्टा जारी किया गया है। नियमन पट्टा जारी करते समय जिस मकान बाबत पट्टा जारी किया गया है उसकी सही वस्तु स्थिति की ही कोई जानकारी की उक्त भूखण्ड पर जो निमार्ण है। वह नियमानुसार स्वीकृति प्राप्त कर कराया गया है या नहीं ना ही नियमानुसार कोई मौके का निरीक्षण कराया गया जो कथित मौका निरीक्षण रिपोर्ट पेश कराई गई है। यह भी अपूर्ण है तथा उसने मौके से संबंधित तथ्य मकान के आस पास की स्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है और ना ही जहां मकान स्थित है उस मौहल्ले पड़ौस का कोई नाम ही अंकित किया गया है तथा मकान के आस पास सार्वजनिक गली या रास्ते की स्थिति का कोई आंकलन नही किया गया है कि अमुक निमार्ण से किसी प्रकार का अतिक्रमण सार्वजनिक रास्ता या गली में तो नही किया गया है

मकान का पट्टा जारी करने हेतु जो उज्रदारी नोटिस निकाला गया है उसमें भी भूखण्ड की हदूद अर्बा या मौहल्ला/गली का कोई उल्लेख नहीं किया है ताकि उज्रदार मकान/भूखण्ड की कोई पहचान से उसकी उज्रदारी करने या करने की स्थिति पर विचार ना कर सके ना ही उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक स्थलो व प्रश्नगत भूखण्ड/भवन पर चस्पा किये जाने बाबत कोई निर्देश ही दिये गये ना ही उक्त उज्रदारी नोटिस को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया गया या ऐसी किसी रिपोर्ट का हवाला ही अपने विवादित आदेश में लिखा है। इस प्रकार विनियमन पट्टा विधिक प्रावधानों की पूर्ण अनदेखी करते हुये जारी किया गया है जिस को मान्य करार नही दिया जा सकता है। उक्त पट्टे के आदेश बाबत जांच कराई गई तो उस जांच में भी भारी अनियमितता जांच अधिकारी द्वारा पाई गई। जिस जांच में पाया गया कि उक्त भूखण्ड 19.09.1970 को सतराम पुत्र लखमीराम कौम खत्री से रामसहाय पुत्र शकरा स्वामी व रामजीलाल पुत्र रामसहाय द्वारा पंजीकृत बैयनामा से खरीदशुदा है। मुताबिक क्रय दस्तावेज उक्त भूखण्ड दो व्यक्तियों द्वारा क्रय किया हुआ है परन्तु पट्टा एक ही वयक्ति रामजीलाल शर्मा को जारी किया गया है बैठक कार्यवाही रजिस्टर में जारी पट्टा का माप एवं आस पास पडौस का उल्लेख नहीं है जबकि नियमानुसार फैसला ग्राम पंचायत कोरम में सम्पूर्ण गत कार्यवाही का अंकन किया जाना होता है इस प्रकार पंचायती राज नियमों की अवहेलना करते हुए उक्त पट्टा जारी किया गया है।

राजस्थान पंचायती राज0 अधिनियम की धारा 97(1) में निगरानी बाबत कोई मियाद प्रावधित नहीं है। उक्त अवैधानिकता की जानकारी लोकायुक्त के पत्र दिनांक 30.03.2017 से हुई जिससे यह निगरानी श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। अतः निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन है कि

अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

नियमन पट्टा आदेश दिनांक 06.06.2011 को निरस्त किये जाने के आदेश सादिर फरमाया जावे। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अनिगरानीकारों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अनिगरानीकारों की विधिवत तामील होकर पत्रावली में संलग्न है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

पत्रावली में वकील निगरानीकार की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली का अवलोकन किया। वकील निगरानीकार की बहस व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील निगरानीकार द्वारा बहस में यह तथ्य स्पष्ट किये गये कि जो पट्टा दिया गया। पट्टा रामजीलाल को जारी किया गया है जबकि उक्त भूमि का बयनामा रामसहाय पुत्र शंकरा स्वामी व रामजीलाल के नाम खरीदशुदा जमीन है। पट्टा एक को ही जारी किया गया है। जो अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर बिना स्वामित्व के ही जारी किया गया इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे जारी किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त तथ्यों के विश्लेषण के क्रम विवादित आदेश पंचायतीराज अधिनियम 1996 के नियमों के विपरीत है।

पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड से मिलान किया गया। आबादी जमीन का बयनामा विधिवत दो व्यक्तियों के नाम पर है। एक आदमी को दूसरे व्यक्ति की खरीदशुदा जमीन का पट्टा दिया जाना नियमों के विपरीत है। निगरानीकार द्वारा निगरानी में पेश तथ्य उचित हैं। निगरानी स्वीकार किए जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकार की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय तत्कालीन ग्राम पंचायत लक्ष्मणगढ के निर्णय दिनांक 06.06.2011 बहक गैरनिगरानीकार संख्या 01 निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 14.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(द्वितीय) अलवर (राज0)

राजस्थान सरकार